<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> थाना-रौनापार

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.09.2021 को उ0नि0 श्री राकेश यादव मय राह द्वारा को मुखबिर खास की सूचना पर गांगेपुर मिठया के पास से एक व्यक्ति को समय करीब 06.40 बजे एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम गुलाब पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गांगेपुर थाना रौनापार आजमगढ़ बताया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

गुलाब पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सा० गांगेपुर थाना रौनापार आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 158/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना रौनापार आजमगढ़।

____ एक अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ0नि० श्री राकेश यादव थाना रौनापार आजमगढ़
- 2. का0 मो0 तबरजे थाना रौनापार आजमगढ़
- 3.का0 राहुल सिंह थाना रौनापार आजमगढ़

<u>थाना-निजामाबाद</u> गौहत्या में चल रही वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौहत्या से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० पवन कुमार शुक्ला मयराहीयान के देखभाल क्षेत्र/ पतारसी सुरागरसी वांछित अभियुक्तगण में मामूर थे कि जिरये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु०अ०सं० 162/21धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम की अभियुक्ता गुड़िया पुत्री वकील ग्राम बारीखास चांदपुर आयमा थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है जल्दी किया जाय तो पकड़ी जा सकती है।मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मौके पर अभियुक्ता के घर ग्राम बारीखास चांदपुर आयमा पहुंचे जहां अभियुक्ता अपने घर के बाहर बैठी मिली जिसे उसके अपराध का बोध कराते हुये समय करीब 10.05 बजे म०का० पुष्पलता सिंह द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लेकर मां० न्यायालय भेजा गया।

<u>पंजीकृतअभियोग</u>-

- 1- मु0अ0सं0- 162/21धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थानानिजामाबादआजमगढ़ गिरफ्तारअभियुक्ता
- 1. गुड़िया पुत्री वकील ग्राम बारीखास चांदपुर आयमा थाना निजामाबाद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करनेवालीटीम</u>-

- 1.उ0नि0 पवन कुमार शुक्लाथानानिजामाबाद, आजमगढ़
- 2. हे0का0 सुरेश यादवथानानिजामाबाद, आजमगढ़
- 3. हे0का0 उमेश सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
- 4. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़
- 5. म0का0 पुष्पलता सिंहथानानिजामाबाद, आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो वांछित गिरफ्तार

विरष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर/चोर/लुटेरा/नकबजन के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दि० 07.09.2021 को प्र0नि० इलाका क्षेत्र में पेण्डिंग विवेचना व गिरफ्तारी अभियुक्त में मामुर था कि लोग किशुनदासपुर बाजार में सम्बन्धित मु0अ0सं० 128/2021 धारा 363/366/376 DI506 भादि व 5/6 पोक्सो एक्ट के अभियुक्तगण के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब अवधेश निषाद व इनरदेव निषाद अपने घर से कही भागने के फिराक में नैपुरा मोड़ से तहबरपुर की ओर जाने वाले है जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर मय राही के साथ लेकर किशुनदासपुर नैपुरा मोड़ पर पहुँचा कि मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि वह दो व्यक्ति जो मकबूलपुर के तरफ से आ रहे हैवही है, और चला गया। प्र0नि० मय राही के उस व्यक्तियों के आने का इन्तजार करने लगा जैसे ही नैपुरा मोड़ पुलिया के पास पहुँचे एकबारगी दिवश देकर घेरकर समय करीब 11.00 बजे पकड़ लिया गया।अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण 1. अवधेश निषाद पुत्र महेन्द्र निषाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2. इनरदेव निषाद पुत्र राजाराम निषाद उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धऱापुर आजमगढ़ से पूछने पर बताया कि साहब मेरे जीवन की पहली गलती है इस बार माफ कर दीजिये भविष्य में दुबारा गलती नहीं करूंगा। इस प्रकार अभि0 अपने द्वारा किये गये अपराध का बोध कर रहा है।

गिफ्तार अभियुक्त

- 1. अवधेश निषाद पुत्र महेन्द्र निषाद निवासीगण भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़
- 2. इनरदेव निषाद पुत्र राजाराम निषाद निवासीगण भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

1- मु०अ०सं० 128/2021 धारा 363/366/376डी/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ०नि० राकेश कुमार सिंह- थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
- 2. हे0का0 नौशाद अद थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
- 3. हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

थाना अतरौलिया 20 गौवंश व एक ट्रक बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्कारी करने वाले अपराधियोंकी गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणश्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुरश्री गोपाल स्वरूप बाजेपयी व प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील चन्द्र तिवारी अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.09.21को SI जीतेन्द्र कुमार सिंह मय राह SI प्रदीप कुमार सिंह, का0 विनय प्रताप सिंह, का0 अमित जयसवाल, का0 अखिलेश यादव रवानाशुदा रो0 आम तारीखी द्विरोजा से बाद तलाश वांछित अभि0 व रात्रिगश्त से वापस आ रहे थेकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल ने गौवंश लदे ट्रक का पीछा किया। बूढनपुर चौराहे पर पंहुचाने पर अचानक चौराहे पर जाम होने के कारण चालक व उसके साथ एक सहयोगी ट्रक रोककर कूदकर भाग गये। पकड़ने का प्रयास किया गया तो सफलता नहीं मिल पायी | ट्रक पर लदा गोवंश देखा गया तो सभी गोवंश के मुंह और पैर रस्सी से बंधे थे | ट्रक पर बीस गोवंश जिसमें ग्यारह राशि गाय व नौ राशि बछड़ा ट्रक को वैकल्पिक व्यवस्था कर थाना प्रांगण लाया गया। मौके से फरार चालक अज्ञात व एक व्यक्ति सहयोगी अज्ञात के विरुद्ध जुर्म धारा 3/5 A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध कारित किया गया है। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रहा है तथा बरामद ट्रक जब्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1. मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 बनाम
- 1. ट्रक नं0 UP65 GT- 3488का चालक नाम पता अज्ञात 2. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात

बरामदगी –

1- एक अदद ट्रक UP65 GT- 3488व 20 अदद गौवंश जीवित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1.SIजीतेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया, आजमगढ़।
- 2.SI प्रदीप कुमारसिंह थाना अतरौलिया, आजमगढ़ ।
- 3.का० विनय प्रताप सिंह थाना अतरौलिया, आजमगढ़।
- ४. का० अमित जयसवाल थाना अतरौलिया, आजमगढ़ ।
- 5. का० अखिलेश यादव अतरौलिया आजमगढ़

<u>थाना- मेंहनगर</u> हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्री दुर्गेश मौर्या पुत्र सुबाष मौर्या सा० दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर दिनांक 20.03.2021 को अभियुक्तगण 1. राहुल कन्नौजिया पुत्र रामशब्द कन्नौजिया 2. रामशब्द कन्नौजिया पुत्र रामसमुझ कन्नौजिया सा० दौलतपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध एनसीआर नं० 33/21 धारा 323/504 भादि पंजीकृत हुआ था। वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155(2) सीआरपीसी. पर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट कोर्ट नं० 11 आजमगढ़ द्वारा दिनाँक 24.06.2021 को एनसीआर उक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 307 भादि का अपराध का होना पाकर अभियोग पर लाकर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 187/21 धारा 323/504/307 भादि बनाम 1.राहुल कन्नौजिया पुत्र रामशब्द कन्नौजिया 2. रामशब्द कन्नौजिया पुत्र रामसमुझ कन्नौजिया सािकनान दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सिंदग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन व प्र0नि0 पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह का0 दिवाकर यादव , का0 ऋषिकेश ठाकुर के थाना हाजा से रवाना होकर मु0अ०सं० 187/21 धारा 323/504/307 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राहुल कन्नौजिया पुत्र रामशब्द कन्नौजिया 2. रामशब्द कन्नौजिया पुत्र रामसमुझ कन्नौजिया नि0 ग्राम दौलतपुर को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण के घर से समय करीब 11.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान – ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर पंजीकृत अभियोग-

समय -11.05 बजे

1-मु०अ०सं० 187/21 धारा 323/504/307 भा०द०वि० थाना मेंहनगर, आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1. राहुल कन्नौजिया पुत्र रामशब्द कन्नौजिया
- 2. रामशब्द कन्नौजिया पुत्र रामसमुझ कन्नौजिया नि0 ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
- 1- उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह का0 दिवाकर यादव , का0 ऋषिकेश ठाकुर थाना मेंहनगर आजमगढ़